



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102026-277328
CG-DL-E-22102026-277328

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5498]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 21, 2026/आश्विन 29, 1948

No. 5498]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 2026/ASVINA 29, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5715(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के मोरबी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-२७ के मोरबी बाईपास के विकास हेतु कि.मी. ०.००० से कि.मी. ५१.१२८ (कलेक्टर कार्यालय, जिला सेवा सदन, शोभेश्वर रोड, मोरबी) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् एस.एल.ए.ओ.-ओ/ओ कलेक्टर-मोरबी(कि.मी. ०.००० से कि.मी. ५१.१२८ तक, राष्ट्रीय राजमार्ग-२७) को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के मोरबी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-२७ के मोरबी बाईपास के विकास हेतु कि.मी. ०.००० से कि.मी.

५१.१२८ के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: मोरबी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: हलवद					
गांव का नाम: डूंगरपुर					
1	163	सामान्य	(कृषि/गौचर/ जंगल)	1.7143 (हेक्टेयर)	1.7143
2	40	निजी	(कृषि)	0.7204 (हेक्टेयर)	0.7204
3	46	निजी	(कृषि)	0.2761 (हेक्टेयर)	0.2761
4	47	निजी	(कृषि)	0.1466 (हेक्टेयर)	0.1466
5	51	सामान्य	(कृषि/गौचर)	1.886 (हेक्टेयर)	1.886
6	52	सामान्य	(कृषि/ ग्राम पंचायत)	0.0023 (हेक्टेयर)	0.0023
7	54	निजी	(ग्राम पंचायत/ कृषि)	0.3343 (हेक्टेयर)	0.3343
तालुक का नाम: मोरबी					
गांव का नाम: गाला					
8	124/1	निजी	(कृषि)	0.1045 (हेक्टेयर)	0.1045
9	125/2	निजी	(कृषि)	0.1165 (हेक्टेयर)	0.1165
10	131/1	निजी	(कृषि)	0.0288 (हेक्टेयर)	0.0288
11	131/2	निजी	(कृषि)	0.7922 (हेक्टेयर)	0.7922
12	131/3	निजी	(गैर कृषि)	0.0143 (हेक्टेयर)	0.0143
13	131/4	निजी	(गैर कृषि)	0.0275 (हेक्टेयर)	0.0275
14	131/5	निजी	(कृषि)	0.2859 (हेक्टेयर)	0.2859
15	133/3	निजी	(कृषि)	0.0349 (हेक्टेयर)	0.0349
16	133/4	निजी	(कृषि)	0.1942 (हेक्टेयर)	0.1942

तालुक का नाम: वांकांनेर					
गांव का नाम: वघासीया					
17	152	निजी	(कृषि)	0.0419 (हेक्टेयर)	0.0419
18	155	निजी	(कृषि)	0.1511 (हेक्टेयर)	0.1511
19	160	निजी	(कृषि)	0.1199 (हेक्टेयर)	0.1199
20	165	सामान्य	(कृषि)	0.2563 (हेक्टेयर)	0.2563
21	172/1	निजी	(कृषि)	0.171 (हेक्टेयर)	0.171
22	173	निजी	(कृषि)	0.1522 (हेक्टेयर)	0.1522
Total					7.5712

[फा. सं. 3a/Morbi bypass/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2026

S.O. 5715(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH27 in the stretch of land from Km. 0.000 to km. 51.128 of the development of the Morbi bypass (Collector office, Jilla Seva Sadan, Shobheshwar Road, Morbi) in the district of Morbi in the state of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SLAO-O/o Collector-Morbi (Km 0 to Km51.128 NH 27) in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling on NH27 in the stretch of land from Km. 0.000 to km. 51.128 of the development of the Morbi bypass in the district of Morbi in the state of Gujarat

State: GUJARAT			District: MORBI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Halvad					
Village: Dungarpur					
1	163	Common	("Agriculture/ Gauchar/ Jungle")	1.7143 (Hectare)	1.7143
2	40	Private	(Agriculture)	0.7204 (Hectare)	0.7204
3	46	Private	(Agriculture)	0.2761 (Hectare)	0.2761
4	47	Private	(Agriculture)	0.1466 (Hectare)	0.1466
5	51	Common	(Agriculture/ Gauchar)	1.886 (Hectare)	1.886
6	52	Common	("Agriculture/ Gram Panchayat")	0.0023 (Hectare)	0.0023
7	54	Private	(Gram Panchayat / Agriculture)	0.3343 (Hectare)	0.3343
Taluk: Morbi					
Village: Gala					
8	124/1	Private	(Agriculture)	0.1045 (Hectare)	0.1045
9	125/2	Private	(Agriculture)	0.1165 (Hectare)	0.1165
10	131/1	Private	(Agriculture)	0.0288 (Hectare)	0.0288
11	131/2	Private	(Agriculture)	0.7922 (Hectare)	0.7922
12	131/3	Private	(Non Agriculture)	0.0143 (Hectare)	0.0143
13	131/4	Private	(Non Agriculture)	0.0275 (Hectare)	0.0275

14	131/5	Private	(Agriculture)	0.2859 (Hectare)	0.2859
15	133/3	Private	(Agriculture)	0.0349 (Hectare)	0.0349
16	133/4	Private	(Agriculture)	0.1942 (Hectare)	0.1942
Taluk: Wankaner					
Village: Vaghasiya					
17	152	Private	(Agriculture)	0.0419 (Hectare)	0.0419
18	155	Private	(Agriculture)	0.1511 (Hectare)	0.1511
19	160	Private	(Agriculture)	0.1199 (Hectare)	0.1199
20	165	Common	(Agriculture)	0.2563 (Hectare)	0.2563
21	172/1	Private	(Agriculture)	0.171 (Hectare)	0.171
22	173	Private	(Agriculture)	0.1522 (Hectare)	0.1522
Total					7.5712

[F. No. 3a/Morbi bypass/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director